



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 271 राँची, मंगलवार, 5 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
26 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

11 मई, 2026

संख्या-03/आरोप-11-22/2024-36148 (HRMS)--श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-179/20), तत्कालीन अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची के विरुद्ध कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के पत्रांक-1739, दिनांक 26.07.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री सिंह के विरुद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. श्री अनिल कुमार सिंह, अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची द्वारा दिनांक 22.09.2023 को विभाग में योगदान के उपरांत विभाग में कार्यरत रहने के उपरांत दिनांक 10.10.2023 से दिनांक 27.10.2023 तक अवकाश में रहने के उपरांत अनाधिकृत रूप से कार्यालय से अनुपस्थित रहे, जो एक गंभीर मामला बनता है तथा इसके लिए श्री सिंह पूर्णरूपेण जिम्मेवार हैं।

2. श्री सिंह का उक्त कृत्य अनुशासनहीनता, कार्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है तथा यह सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के 3(i) (ii) एवं (iii) के प्रावधानानुसार सरकारी सेवक से पूरी शीलनिष्ठा एवं कर्तव्य के प्रति निष्ठा की अपेक्षा की जाती है, परंतु श्री सिंह द्वारा इसका पालन नहीं किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध आरोप पत्र गठित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना सं0-26993 (HRMS), दिनांक 23.08.2024 द्वारा श्री सिंह को निलंबित किया गया तथा विभागीय संकल्प सं0-27233(HRMS), दिनांक 10.01.2025 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-506, दिनांक 26.06.2025 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप प्रमाणित नहीं होता है, उल्लेख किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों की पुनः जाँच करने हेतु विभागीय संकल्प सं0-460, दिनांक 28.01.2026 द्वारा श्री संजय सिन्हा, से0नि0 भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही से संबंधित मूल अभिलेख को श्री सिन्हा को वापस करते हुए दस्तावेजी साक्ष्यों को Exhibit करने, संबंधित गवाहों/सरकारी सेवकों को परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया।

उक्त के आलोक में श्री संजय सिन्हा, संचालन-सह-विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक-104, दिनांक 02.03.2023 द्वारा पुर्नजाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित पुर्नजाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरुद्ध गठित आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया।

श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत विभागीय जाँच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री अनिल कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-179/20), तत्कालीन अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	ANIL KUMAR SINGH 110071165689	श्री अनिल कुमार सिंह, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-179/20), तत्कालीन अवर सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग), झारखण्ड, राँची, सम्प्रति-निलंबित को निलंबन से मुक्त करते हुए आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
